माननीय एम.एम कुमार और एम.एम.एस. बेदी, जे जे. के समक्ष

रैम चैंडर — याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और एक और— उत्तरदाताओं

2006 का C.W.P. No. 4424

26 सितंबर, 2006

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद, 226-हरियाणा राज्य द्वारा जारी निर्देश दिनांक 31 जनवरी, 2006-याचिकाकर्ता 70% से अधिक विकलांग-उक्त निर्देशों के अनुसार विकलांग समूह 'ए' से 'डी' कर्मचारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति आयु 70% के साथ विकलांगता 60 वर्ष है - याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से निर्देशों के अंतर्गत आता है - उत्तरदाताओं को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हुए याचिका को अनुमति दी गई।

निर्णय, कि याचिकाकर्ता का मामला पूरी तरह से 31 जनवरी, 2006 के निर्देशों के अंतर्गत आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विकलांग समूह 'ए' से लेकर समूह 'डी' कर्मचारियों, जिनकी विकलांगता 70% है, की सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

(पैरा 3)

आर.एन. शर्मा, *याचिकाकर्ता के लिए* एडवोकेट

हरीश राथे, सीनियर. डीएजी, हरियाणा, *उत्तरदाताओं के लिए*

निर्णय

एम.एम. कुमार, जे. (मौखिक)

(1) इस याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्देश इस आधार पर जारी किया जाए कि वह शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति है। उपरोक्त दावा दिनांक 31 जनवरी, 2006 (पी-4) के निर्देशों पर आधारित है। निर्विवाद तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी राज्य के साथ विभिन्न पदों पर कार्यरत रहा है और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, वह 31 मार्च, 2006 को जिला पुस्तकालय, जींद से वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हो गया था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि 31 जनवरी, 2006 (पी-4) के निर्देश उस पर लागू होते हैं क्योंकि याचिकाकर्ता 70% से अधिक विकलांग है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे के समर्थन में, उन्होंने 22 फरवरी, 2006 का प्रमाण पत्र (पी-7) रिकॉर्ड में रखा है, जो सिविल सर्जन, जींद द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने 13 जुलाई, 2006 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन, जींद द्वारा जारी अपनी प्रतिकृति के साथ एक अन्य प्रमाण पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उनके द्वारा पहले जारी किया गया 22 फरवरी, 2006 का प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार के कर्मचारियों से संबंधित सेवा मामलों के प्रयोजन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जींद की अध्यक्षता के तहत गठित सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। । यह फिर से दोहराया गया है कि याचिकाकर्ता 70% शारीरिक रूप से विकलांग है जैसा कि पहले ही घोषित किया जा चुका है और 22 फरवरी, 2006 के प्रमाण पत्र में दिखाया गया है (पी-7)

(2) प्रतिवादी राज्य द्वारा अपने लिखित बयान में एकमात्र रुख यह है कि प्रमाण पत्र पहले वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सामान्य अस्पताल, नरवाना और

फिर ऑर्थो सर्जन, सामान्य अस्पताल, जींद से तैयार किया गया है और उसके बाद सिविल सर्जन, जींद द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। आपत्ति यह जताई गई है कि इस मेडिकल सर्टिफिकेट पर लगाए गए स्टांप से पता चलता है कि यह केवल विकलांग पेंशन के लिए वैध है और यह केवल पांच साल के लिए वैध है। लिखित बयान में उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा 1 में उपरोक्त कथन दिए गए हैं। यह दावा किया गया है कि प्रमाण पत्र सरकार के निर्देशों दिनांकित 28 मार्च, 2006 के अनुसार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रतिकृति के साथ प्रमाण पत्र दाखिल करने से पहले लिखित बयान दायर किया गया था , जो वास्तव में सभी आपत्तियों को स्पष्ट करता है।

(3) विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता का मामला 31 जनवरी, 2006 (पी-4) के निर्देशों के अंतर्गत आता है, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि विकलांग समूह 'ए' *से लेकर* 'समूह 'डी', जिन कर्मचारियों की विकलांगता 70% है, उनकी सामान्य सेवानिवृत्ति आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। सरकार के निर्देशों का मूल भाग निर्देशों के पैरा 2 से समझा जा सकता है, जो इस प्रकार है:

> "2. विकलांग कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु के मामले को बनाए रखने की दृष्टि से, सरकार ने इस मामले पर आगे विचार करते हुए ऐसे विकलांग समूह 'ए' *से लेकर* 'समूह 'डी' कर्मचारी जिनके पास विकलांगता की न्यूनतम डिग्री 70% है की सामान्य सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। "

(4) उपरोक्त के मद्देनजर, रिट याचिका सफल होती है और तदनुसार, याचिकाकर्ता को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने के मामले

पर विचार करने के लिए उत्तरदाताओं को एक निर्देश जारी किया जाता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि याचिकाकर्ता 31 मार्च, 2006 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया है और याचिकाकर्ता को सेवा में वापस लेना होगा ताकि उसे 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जा सके।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा